

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री अंकित

विपक्षी :- श्री नारायणदास

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनिियम

पत्रावली संख्या :- 49/22

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/200

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 16.12.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 4 पूर्व पेशी पर स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया। अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बहस टी.आई. सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई. सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 208 पर दर्ज आराजी नम्बर 1533 रकबा 2.8004 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 207 पर दर्ज आराजी नम्बर 1545, 1546 किता 2 कुल रकबा 1.5944 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 3, 4 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को एवं विपक्षी संख्या 1, 2 जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं परन्तु उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि मात्र प्रार्थीगण या मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे उभय पक्षकारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान मौके पर निर्माण कार्य कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायविज्ञान में उचित</p>	



प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किये जाते हैं कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 208 पर दर्ज आराजी नम्बर 1533 रकबा 2.8004 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 207 पर दर्ज आराजी नम्बर 1545, 1546 किता 2 कुल रकबा 1.5944 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली